राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

क्रमांकः– एफ 2(8)संकलन/184/बजट/853 दिनांकः– 28-11-11

परिपत्र

विषयः– **स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत आरक्षण पत्र जारी करने बाबत।**

आवासन मण्डल के लागत सिद्धान्त–2010 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के आवासों का निर्माण कार्य आवेदकों से प्राप्त राशि के द्वारा करवाए जाने का प्रावधान हैं। मण्डल के प्रावधानानुसार आवासों के निर्माण कार्यादेश के साथ ही आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है। किन्तु इस योजना में आरक्षण पत्र के जारी करने की तिथि तथा कार्यादेश की तिथि में काफी भिन्नता देखी गई है। अर्थात कार्यादेश तो जारी हो जाते है पर आरक्षण पत्र जारी नहीं हो पाते अथवा विलम्ब से जारी होते है, जिसके कारण आवेदकों से मांग राशि, निर्माण कार्य के अनुपात में प्राप्त नहीं हो पाती है, जबकि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण ठेकेदार को कार्य की पूर्णता के अनुपात में भुगतान किया जाना होता है, जिससे विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा अनावश्यक विवाद का विषय पैदा हो जाता है।

अतः सभी संबंधित उप आवासन आयुक्तों एंव आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यादेश जारी करने के साथ ही पंजीकृत आवेदक को आरक्षण पत्र भी जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती गई तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी. एण्ड एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लागत/वसूली/भुगतान, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त.............................राज. आवा.मण्डल....................................
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड...................... राज. आवा.मण्डल...................................
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखाधिकारी